99
16-4-12

सं0– /XXVIII–5–2011–33/2009

प्रेषक,

पीयूष सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 **देहरादूनः दिनांकः** 30 मार्च 2012

विषय–सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन/प्रबन्धन हेतु प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–16प/वाहन/5/2008/4196 दि0 14.02.2012, पत्र सं0–16प/ वाहन/5/2008/7195 दि0 14.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु निष्पादित अनुबन्धों की शर्तों के अधीन तथा शासनादेश संख्या 194/XXVIII-4(1)-2009-02/2008 दिनांक 15.01.2010 के क्रम में सचल चिकित्सा वाहन द्वारा प्रदत्त करायी गयी चिकित्सा सुविधा के सापेक्ष माह दिसम्बर 2011 हेतु ₹ 13,17,018.00 (रूपये तेरह लाख सत्रह हजार अठारह मात्र एवं माह जनवरी 2012 हेतु ₹ 12,21,192.00 (रूपये बारह लाख इक्कीस हजार एक सौ बयानबे मात्र) **कुल ₹ 25,38,210.00 (पच्चीस लाख अड़तीस हजार दो सौ दस मात्र) के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 25.39 लाख (रूपये पच्चीस लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त** कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सचल चिकित्सालयों के संचालन हेतु संचालनकर्ता फर्म को उनके साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप नियमानुसार देय धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।
2. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन करते हुए किया जा रहा है ।
3. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या प्राप्त कर पूर्व की निरीक्षण आख्या के आधार पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कैम्प के समय पूर्व इंगित कमियों यथा सम्बन्धित सेवा प्रदत्ता को वैन में लगे सभी चिकित्सा उपकरणों को सुचारू रूप से कार्य करने की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध मे प्रत्येक माह के आरम्भ सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तनदुसार आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–458(P)/XXVII(3)2011-12 दिनांकः 29 मार्च 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव

सं0–339 (1)/XXVIII–5–2011–33/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. M/s Rajbhra Medicare, N-18A, Second Floor, Green Park Etxn, नई दिल्ली–110016।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव